रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1702] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2008/अग्रहायण 12, 1930
No. 1702] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2008/AGRAHAYANA 12, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2835 (अ).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (ञ) के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1986 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा।

(2) वे शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1986 में नियम 16 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"17. प्रधिकरण के कार्य .—इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (ञ) में उल्लिखित उपायों में बासमती चावल के संबंध में वस्तु संबंधी भौगोलिक निर्देशन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अंतर्गत यथापेक्षित भौगोलिक निर्देशनों के पंजीकरण तथा संरक्षण हेतु उपाय और ऐसे अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार अथवा अन्य अनुसूचित उत्पादों से संबंधित सदृश अधिकार, जिन्हें केन्द्र सरकार एतद्पश्चात अधिसूचित कर सकती है, शामिल होंगे।"

[फा. सं. 6/37/2008-ईपी (एग्री-IV)]

दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :-मूल नियम शासकीय राजपत्र में दिनांक 3 सितम्बर, 1986 की अधिसूचना सं. का.आ. 652(अ) में प्रकाशित किए गए थे और संशोधन संबंधी नियम निम्नलिखित अधिसूचनाओं में प्रकाशित किए गए थे, अर्थात् :—

1. का.आ. 806(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 1998
2. का.आ. 238(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2005
3. का.आ. 961(अ), दिनांक 12 जून, 2007

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2008

S.O. 2835(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 32 read with clause (j) of sub-section (2) of Section 10 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1985) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, namely :—